न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 50/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00051)

1. प्रेमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिह जाति राजपूत निवासी जेतसीसरिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. रणजीतसिह पुत्र स्व. जेठूसिह जाति राजपूत निवासी जेतसीसरिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. किशोर सिह पुत्र स्व. जेठूसिह जाति राजपूत निवासी जेतसीसरिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. पदमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिह जाति राजपूत निवासी जेतसीसरिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29–12–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 23.11.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने तहसीलदार सरदारशहर के निर्णय दिनांक 16.09.2016 जिसके द्वारा अपीलाट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश दिया के विरूद्ध जिला कलक्टर चूरू में अपील पेश कर आदेश दिनांक 16.09.2016 को अपास्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.11.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 16.09.2016 को यथावत रख दिया तथा तहसीलदार सरदारशहर को आदेश दिया कि अपीलाट्स को तुरन्त कब्जा भूमि से हटाकर बेदखल किया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 के आदेश

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

/1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. इस न्यायालय में अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि वादगत भूमि मोजारोही जेतसीसरिया के खसरा नं. 227/60 तादादी 25 बीघा अपीलान्ट्स के पिता के जीवनकाल में सम्वत् 2031 के पहले से लगातार कब्जे काश्त चली आ रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। स्व. जैठूसिह के विरूद्व नायब तहसीलदार सरदारशहर में प्रकरण सं. 645/92 दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गई थी। जिसमें दिनांक 07.11.1992 को निर्णय दिया जाकर कहा गया कि स्व. जेठूसिंह अतिक्रमण नियमन का पात्र है इसलिए मूल पत्रावली वास्ते नियमन उपखण्ड अधिकारी चूरू को प्रेषित की गई जो नियमन कमेटी का गठन ना होने के कारण आज दिनांक तक पेन्डिग है। सन् 1992 के बाद से अपीलान्ट्स के विरूद्व हर वर्ष नाजायज काश्त की कार्यवाही सस्थित करते हुए तहसीलदार सरदारशहर द्वारा तवान कायम किया जाता है जो अपीलान्ट्स अदा करते रहे है, अपीलान्ट्स को वादगत भूमि से कभी भी बेदखल नही किया गया है। स्व. जेठूसिह की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स वादगत भूमि पर लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए वादगत भूमि को अपीलान्ट्स अपने नाम से नियमन कारने के पात्र है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक 6 (6) राज–6/97 पार्ट/13/जयपुर दिनांक 16.11.2021 द्वारा कृषि भूमि के नियमन हेतु अवधि 01.01.2015 तक बढाई गई है। अपीलान्ट्स प्रत्येक मात्र 6.05 बीघा भूमि वादगत भूमि में से प्राप्त करने के हकदार है जो नियमो मे दी गई परिधि से बाहर भूमि नही होती है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमाई जाकर हर दो आदेश जैर अपील दिनांक 16.09.2016 व 23.11.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार सरादारशहर के निर्णय दिनांक 16.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये है, उक्त के विरूद्व अति. जिला कलक्टर चूरू के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे निर्णय दिनांक 23.11.2017 के द्वारा तहसीलदार सरदारशहर के निर्णय दिनांक 16.09.2016 को यथावत रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि ग्राम जैतसीसरिया तहसील सरदारशहर के ख. नं. 227/60 की 25 बीधा भूमि के संबध में प्रकरण सं. 645/92 निर्णय दिनांक 07.11.1992 के अनुसार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपीलान्ट के पिता जेठूसिह के पक्ष मे नियमन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी चूरू को प्रेषित की गई थी। जेठूसिह की मृत्यु दिनांक 10.09.1999 को होने के पश्चात अपीलान्ट की कब्जा काश्त होना नायब तहसीलदार के निर्णय 16.09.2016 के अनुसार माना है परन्तु जेठूसिह के वारिसान भूमिहीन नही होने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी चूरू के संमक्ष विचाराधीन नियमन प्रकरण के संदर्भ में अपने स्तर पर ही निष्कर्ष लेते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट का कथन है कि खं. नं. 227/60 के संदर्भ में एक नियमित वाद सं. 13/2007 उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के न्यायालय में विचाराधीन है साथ ही उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के न्यायालय में प्रकरण सं. 09/2018 अन्तर्गत नियम 20 भू राजस्व (कृषि भूमि आवटन) नियम 1970 के तहत कृषि भूमि के नियमन का प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। यहा यह भी उलेखनीय है कि नायब तहसीलदार सरदारशहर के द्वारा दिनांक 06.09.216 को अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 15.9.2016 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण की ओर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 15.09.2016 को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये एवं उक्त तिथि को आदेशिका के अनुसार निर्णय प्रथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली करने का लिखा गया, परन्तु पत्रावली में अलग से दिनांक 15.09.2016 का कोई निर्णय सलग्न नही है, बल्कि नायब तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 16.09.2016 को जमाबन्दी की प्रतिया पत्रावली मे सलग्न कर आदेशिका में ही 16.09.2016 को निर्णय पारित कर दिया जो कि विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण केवल अतिक्रमण का न होकर वर्ष 1992 से अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता के द्वारा कब्जा काश्त का है, जिसके सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि नियमन 1970) के नियम 20 मे अतिक्रमणो को नियमन के प्रावधान उपलब्ध है। अपीलान्ट द्वारा नियमन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से स्पष्ट होता है। इस संबध मे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के द्वारा दिनांक 05.02.2018 को वादगत कृषि भूमि खं. नं. 227/60 तादादी 25 बीधा की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार भी कृषि भूमि के नियमन के संदर्भ में निर्देश जारी किये गये है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 23.11.2017 एवं तहसीलदार सरदारशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2016 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि उपखण्ड अधिकारी चूरू/सरदारशहर के न्यायालय में विचाराधीन अपीलान्ट के नियमन प्रकरण के निर्णय के अनुरूप निर्णय पारित करे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।